

सेवा मे,

श्रीमान अध्यक्ष/महामंत्री महोदय

कानपुर बार एसोसिएशन

कानपुर नगर।

विषय : चैम्बर नं०-19 प्रथमतल, बाबू लाल मिश्रा अधिवक्ता भवन पर अपने हक व हिस्से को श्री नमन गुप्ता एडवोकेट के हक में हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।


श्रीमान जी,

मैं शरद कुमार त्रिपाठी एवं श्री नमन गुप्ता एडवोकेट द्वारा संयुक्त रूप से चैम्बर नं०-19 प्रथमतल प्रथमतल बाबू लाल मिश्रा अधिवक्ता भवन कानपुर नगर का आवंटन कराया गया था, दोनों संयुक्त रूप से उपरोक्त चैम्बर के आवंटी है, चूंकि मैं न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारी नियुक्त हो गया हूँ इसलिये उपरोक्त चैम्बर नं०-19 में अपने हक व हिस्से का कब्जा व दखल श्री नमन गुप्ता एडवोकेट पुत्र श्री सुरेश गुप्ता निवासी 76/271 संब्जी मण्डी बादशाहीनाका कानपुर नगर (बार काउंसिल नं०-1634/2009) को सुपुर्द कर दिया है, तथा समस्त प्रतिफल भी प्राप्त कर लिया है।

श्री नमन गुप्ता एडवोकेट यदि उपरोक्त चैम्बर हेतु मेरे हक व हिस्से के लिये आवंटन हेतु आवेदन करते हैं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अतः उक्त चैम्बर का सम्पूर्ण आवंटन श्री नमन गुप्ता एडवोकेट का नाम दर्ज करते हुये एकल आवंटनपत्र श्री नमन गुप्ता के पक्ष में जारी कर दिया जावे।

धन्यवाद !

भवदीय


शरद कुमार त्रिपाठी (ए०डी०जे०)

पुत्र गौतम प्रसाद त्रिपाठी

निवासी 130/279 एल-1 बगाही

कानपुर नगर व

हाल निवासी एम०पी०एम०एल०ए०

कोर्ट जिला-जौनपुर उ० प्र०

मो० नं०-9839700293